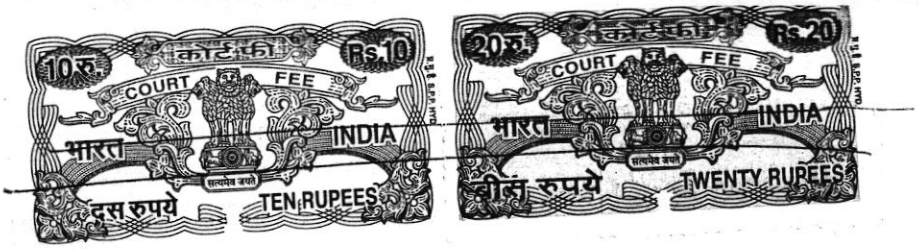

55

निग - 3084-II-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी

1– बृखभान पुत्र श्री देवी सिंह यादव
2– राजाराम पुत्र श्री देवी सिंह यादव
निवासीगण–ग्राम खिरिया तहसील खनियाधाना
जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– महेश पुत्र श्री दीपानाई
निवासी – ग्राम खिरिया तहसील खनियाधाना
जिला शिवपुरी (म.प्र.)
2– कलिया पुत्री दीपा नाई पत्नी मिश्री लाल नाई
निवासी – ग्राम काली पहाड़ी (चन्देरी) तहसील
खनियाधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.)
3– मिथला पुत्री दीपा नाई पत्नी कैलाश नाई
निवासी – ग्राम दिदावनी तहसील खनियाधाना
जिला शिवपुरी (म.प्र.)
4– मुन्नी पुत्री दीपा नाई पत्नी रामदयाल नाई
निवासी – काली पहाडी (चन्देरी) तहसील
खनियाधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग पिछोर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/14–15 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 12.08.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसीलदार खनियाधाना के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि सर्वे क्रमांक 1058 रकवा 1.15 है0 स्थित ग्राम खिरिया बामौर वर्ष 1983–84 से उसके पिता दीपा पुत्र बहोरन नाई के नाम दर्ज था। वर्ष 1997 से 2000 एवं 2004 में अनावेदकगण का नाम बिना किसी आधार के दर्ज कर दिया गया है। वर्तमान कम्प्यूटर में खसरे में सर्वे नं. 1058 शासकीय दर्ज है।

2– यहकि, उपरोक्त आवेदन पत्र पर सुनवाई का अवसर दिया जाकर सहायक [illegible] से प्रतिवेदन प्राप्त कर जिसमें बताया गया कि दीपा पुत्र बहोरा नाई

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3084–दो/16 जिला–शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
17.10.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 20/2014–15/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 12.8.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–निगरानी की प्रचलनशीलता पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के आदेश दिनांक 12.8.16 का आदेश अंतिम स्वरूप का है। अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश की निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में की गई है, जो सुनवाई योग्य नहीं है। क्यों कि संशोधित संहिता 2018 की धारा 54 (क) सहपठित 50 (1) (ग) के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्व अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष निगरानी सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 6.12.18 को अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष उपस्थित रहे। सदस्य अपर आयुक्त ग्वालियर	